**फा. संख्या 18-06/2021-डीडी-III**

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
अंत्योदय भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली

दिनांक: 29 अक्टूबर, 2023

**<u>कार्यालय ज्ञापन</u>**

**विषय : दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि के शासी निकाय की छठी बैठक के कार्यवृत्त को अग्रेषित करने के संबंध में।**

अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 25.10.2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित दिव्यांगजनों के राष्ट्रीय निधि की शासी निकाय की छठी बैठक के कार्यवृत्त को एतद्वारा सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित करने का निदेशक हुआ है।

**संलग्नक :** यथोपरि ।

**(डी.के.पंडा)**

**अवर सचिव, भारत सरकार**

**दूभभाष :** 24369059

1. चेयरपर्सन, राष्ट्रीय न्यास बोर्ड, ओल्ड राजिंदर नगर, नई दिल्ली ।
2. श्री संजय पांडेय, जेएस एंड एफए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. डॉ. रिंकू शर्मा, एडीजी, डीजीएचएस, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।
4. श्री गुरदीप सिंह, उप सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय।
5. श्री धमेंद्र सिंह, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।
6. श्री वेन्नोपूसा श्रीनीवासुलु रेड्डी, दरवाजा नं. 6-53, संदु भावी गली, देवता महल के पास, नाडीमुर, विंजामुर, एसपीएसआर नेल्लोर, 524228 आंध्र प्रदेश
7. श्री अमित शर्मा, मकान नं. 119, सेक्टर 11, चंडीगढ़

**प्रतिलिपि प्रेषित :-**

1. सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
2. जेएस (पीएस) के प्रधान निजी सचिव।
3. डॉ. सुबोध कुमार, सदस्य सचिव, आरसीआई।

**दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 को सुबह 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि के शासी निकाय की छठी बैठक का कार्यवृत्त।**

प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

सुश्री अंजली भावड़ा, शासी निकाय की अध्यक्ष और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सचिव ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और श्री के.वी.एस राव, निदेशक से शासी निकाय के विचार के लिए कार्यसूची बिंदुओं पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति देने का अनुरोध किया। कार्यसूची मदों पर प्रस्तुति की प्रति **अनुबंध**-II में दी गई है।

2. शासी निकाय द्वारा लिए गए कार्यसूची-वार निर्णयों को संक्षेप में नीचे दिया गया है: -

| **कार्यसूची मद** | **शासी निकाय के निर्णय/अवलोकन** |
|---|---|
| **कार्यसूची बिंदु सं. 1:**<br>दिनांक 14.07.2021 को आयोजित शासी निकाय की पांचवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टिकरण । | दिनांक 14.07.2021 को आयोजित शासी निकाय की पांचवीं बैठक के कार्यवृत्त पुष्टिकरण किया जिसे दिनांक 18.07.2021 के पत्र के माध्यम से डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा परिचालित किया गया था। |
| कार्यसूची बिंदु सं. 2: दिनांक 14 जुलाई, 2021 को आयोजित शासी निकाय की 5 वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट। | शासी निकाय ने अपने पहले के निर्णयों पर हुई प्रगति पर ध्यान दिया और निम्नानुसार अवलोकन किया :-<br>▪ जीबी ने दिसंबर, 2021 में दो किस्तों में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए राहत केंद्र, मणिपुर को 7,45,500 रुपये जारी करने हेतु स्वीकृति दी। सीआरसी गुवाहाटी को दूसरी किस्त जारी करने से पहले जब संगठन द्वारा प्रदर्शनी आयोजित की जाती है तो उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।<br>▪ जीबी ने नोट किया कि मैसर्स सेंटर फॉर मार्केट रिसर्च ने दिनांक 25.10.2021 तक संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर सहमति व्यक्त की।<br>जीबी ने कहा कि जुलाई, 2019 में एनआईटी कुरुक्षेत्र में आयोजित राष्ट्रीय आईटी चैलेंज में भाग लेने के लिए 85 दिव्यांग छात्रों और 54 एस्कॉर्ट्स को निधि जारी किया गया है।<br>शेष 10 छात्रों/एस्कॉर्ट्स के संबंध में, दिनांक 15.11.2021 तक बैंक विवरण की मांग करते हुए अंतिम अनुस्मारक जारी किया जा सकता है ।<br>▪ जीबी ने कहा कि 22.10.2021 को 2020 में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए पिंगलाक्षी को 10 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। यह भी ध्यान दिया गया है कि नागदा जेनिथ, एमपी और एकीकृत, वाराणसी द्वारा प्रदर्शनी |

| | |
|---|---|
| | आयोजित करने के लिए संशोधित कार्यक्रम की पुष्टि मांगी गई है।<br>▪ जीबी ने कहा कि 22.10.2021 को, श्री नवदीप को पोलैंड में दिनांक 15-22 जुलाई, 2019 के दौरान पोलिश इंटरनेशनल ओपन पैरा-एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में भाग लेने के लिए 1.04 लाख रुपये जारी किए गए हैं।<br>▪ जीबी ने राष्ट्रीय निधि के तहत वित्तीय सहायता के लिए नए क्षेत्रों का सुझाव देने वाली समिति की रिपोर्ट को एक अलग कार्यसूची के रूप में माना। लेखा प्रक्रिया का सुझाव देने के लिए समिति की रिपोर्ट के संबंध में, जीबी ने इच्छा व्यक्त की कि मामले को यथाशीघ्र रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ाया जाए।<br>▪ जीबी ने कहा कि राष्ट्रीय निधि के तहत प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करने के लिए स्क्रीनिंग समिति की बैठक 14.10.2021 को आयोजित की गई थी। इसकी सिफारिशों को अलग कार्यसूची माना गया।<br>▪ जीबी ने सीए फर्म को विभिन्न कार्यों के लिए भुगतान के रूप में 13,45,200 रुपये जारी करने की मंजूरी दी, जैसा कि जीबी द्वारा 24.03.2021 को आयोजित अपनी चौथी बैठक में पहले मंजूरी दी गई थी।<br>▪ जीबी ने कहा कि परिपक्वता के लिए देय राशि को स्वतः नवीनीकृत कर दिया गया है। समिति ने इच्छा व्यक्त की कि राष्ट्रीय न्यास और राष्ट्रीय निधि के बैंकर से परामर्श करने के बाद आरबीआई बॉन्ड में शीघ्र निवेश के प्रयास किए जाने चाहिए।<br>जीबी ने यूडीसी/एलडीसी/डीईओ के संबंध में प्रतिनियुक्ति आधार (एसओ/एएसओ) के माध्यम से और जीईएम के माध्यम से आउटसोर्स आधार पर राष्ट्रीय निधि के सचिवालय के लिए कर्मचारियों की भर्ती की विधि का सुझाव देने वाली समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। यह इच्छा व्यक्त की गई कि इन कर्मियों की भर्ती के लिए विभाग द्वारा यथाशीघ्र उचित कार्रवाई की जाए।<br>▪ जीबी ने इच्छा व्यक्त की कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय न्यास से आग्रह किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय निधि की योजनाओं का विज्ञापन पिछली बार 3 सितंबर, 2021 को जारी किया गया था। अगला विज्ञापन नवंबर/दिसंबर, 2021 में जारी किया जा सकता है। |

| | |
|---|---|
| | ▪ जीबी ने दिल्ली, मुंबई/पुणे, बंगलुरू/हैदराबाद, गुवाहाटी और ईटानगर में एक-एक प्रदर्शनी सह विपणन बिक्री केन्द्र स्थापित करने के लिए एनएचएफडीसी के प्रस्ताव पर विचार किया। एनएचएफडीसी से भाग लेने वाले दिव्यांगजनों की संख्या, प्रत्येक केन्द्र में शामिल किए जाने वाले राज्यों, दिव्यांगजनों/गैर-सरकारी संगठनों के चयन के लिए पारदर्शी तंत्र जैसे और ब्यौरे देने का अनुरोध किया गया था। एनएचएफडीसी वित्तीय प्रभावों पर भी पुनर्विचार कर सकता है।<br>▪ शासी निकाय ने आरसीआई द्वारा सुझाए गए मसौदा समझौता ज्ञापन पर विचार करने और संशोधनों, यदि कोई हो, को अनुमोदन देने के लिए अध्यक्ष-सह-सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी को अधिकृत किया। इसके बाद, आरसीआई को दो किस्तों में जल्द से जल्द धनराशि जारी की जा सकती है, जैसा कि दिनांक 14.07.2021 को आयोजित जीबी की पिछली बैठक में तय किया गया था। |
| **कार्यसूची बिंदु संख्या 3:**<br>दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि की योजना के तहत सहायता के नए क्षेत्रों की सिफारिश करने वाली समिति की रिपोर्ट पर विचार करना। | • जीबी ने बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों जिन्होंने अनुसंधान पत्र प्रस्तुत करने या अंतरराष्ट्रीय अकादमिक सम्मेलनों में भाग लेने के लिए अकादमिक/तकनीकी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, और सहायता के नए घटक अर्थात् आरसीआई द्वारा अनुमोदित पुनर्वास विज्ञान पाठ्यक्रमों में विशेषज्ञता के लिए छात्रों को वजीफा, जो विभाग की छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत शामिल नहीं हैं और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए खेल उपकरणों की खरीद के लिए बेंचमार्क दिव्यांगजनों को सहायता के लिए वित्तीय सहायता की अनुमति देने के लिए मौजूदा योजना में संशोधन के लिए समिति की सिफारिशों के साथ सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है।<br>• जहां तक प्रायोगिक (पाईलेट) आधार पर दो राष्ट्रीय संस्थानों में स्मार्ट क्लास रूम के लिए सहायता के संबंध में समिति की सिफारिशों का संबंध है, जीबी ने इच्छा व्यक्त की कि स्मार्ट क्लास रूम की आवश्यकता और इसमें शामिल लागत के बारे में एनआई और अन्य संगठनों से जानकारी प्राप्त करने के बाद इस पर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए।<br>• जीबी ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि समिति नए क्षेत्रों के लिए मसौदा दिशानिर्देशों की समीक्षा कर सकती है।<br>जीबी अपनी अगली बैठक में इस मुद्दे पर फिर से विचार-विमर्श करेगा। |
| **कार्यसूची बिंदु संख्या 4: नए प्रस्ताव** | • जीबी ने नए प्रस्तावों के वित्तपोषण के संबंध में |

<table>
<tr>
<td></td>
<td>स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया और<br>अनुबंध III में दिए गए अनुसार राष्ट्रीय निधि के तहत वित्तीय सहायता को मंजूरी दी।<br>जीबी ने इच्छा व्यक्त की कि गैर-सरकारी संगठनों के संबंध में निधियों की रिलीज संबंधित एनआई/सीआरसी की रिपोर्टों के आधार पर की जानी चाहिए। वे संगठन की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए भी शामिल हो सकते हैं।</td>
</tr>
<tr>
<td>कार्यसूची बिंदु संख्या 5: निधि की वर्तमान स्थिति</td>
<td>
<table>
<tr><td colspan="5">(करोड़ रुपये में)</td></tr>
<tr><td>क्र.सं.</td><td>उपलब्ध निधि</td><td>न्यास निधि</td><td>राष्ट्रीय निधि</td><td>कुल</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>सावधि जमा</td><td>270.70</td><td>20.05</td><td>290.75</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>बचत बैंक खाता</td><td>45.35</td><td>10.38</td><td>55.73</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td>316.05</td><td>30.43</td><td>346.48</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>कार्यसूची बिंदु संख्या 6: राष्ट्रीय निधि की लेखा परीक्षा</td>
<td>• जीबी ने निर्णय लिया कि राष्ट्रीय निधि की लेखा परीक्षा के लिए जी एंड एजी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। सी एंड एजी के पास वैधानिक लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए एक मानक दर है।<br>• सीए आंतरिक ऑडिट कर सकता है।</td>
</tr>
<tr>
<td>कार्यसूची बिंदु संख्या 7: हस्ताक्षर प्राधिकारी में परिवर्तन</td>
<td>• जीबी ने डीईपीडब्ल्यूडी के निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से श्री के.वी.एस राव, निदेशक (जो अक्टूबर, 2021 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं) और श्री विकाश प्रसाद, निदेशक (जो नवंबर, 2021 में अपने मूल कैडर में लौट जाएंगे) के स्थान पर राष्ट्रीय निधि और पूर्ववर्ती न्यास निधि और राष्ट्रीय निधि के अवशिष्ट कार्य के लिए हस्ताक्षर प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया: -<br>1. सुश्री बीना चक्रवर्ती, उप सचिव<br>2. श्री मृत्युंजय झा, उप सचिव</td>
</tr>
<tr>
<td>कार्यसूची बिंदु संख्या 8: अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य संबंधित मामला।</td>
<td>• माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के कार्यालय से एक नोट प्राप्त हुआ था जिसमें भारतीय पैरालम्पिक संघ के महासचिव से प्राप्त ईमेल की एक प्रति अग्रेषित की गई थी जिसमें टोक्यो पैरालम्पिक में भाग लेने वाले पैरालम्पिक खिलाड़ी श्री विनोद कुमार को वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। उन्हें शुरू में अपने श्रेणी में कांस्य पदक के लिए विजेता घोषित किया गया था, लेकिन बाद में, तकनीकी कारणों से रद्द कर दिया गया।<br>• आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए उनके प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता मांगी गई है।<br>• अध्यक्ष की अनुमति से इस मामले को</td>
</tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | अतिरिक्त मद के रूप में जीबी के समक्ष रखा गया था।<br>• जीबी ने सिफारिश की कि इस मामले को अगली बैठक में शासी निकाय के समक्ष रखने से पहले स्क्रीनिंग समिति के विचार के लिए रखा जा सकता है। भारतीय खेल प्राधिकरण की सिफारिशें प्राप्त की जाए और निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिया जाए-<br>• क्या भारतीय खेल प्राधिकरण श्री विनोद कुमार सहित पैरालम्पिक खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए भी सहायता प्रदान कर रहा है।<br>• इस विभाग से अलग से वित्तीय सहायता के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की विशिष्ट सिफारिश।<br>• क्या 5 लाख रुपये या उससे कम की राशि को वित्तीय सहायता के रूप में माना जा सकता है।<br>• चूंकि प्रशिक्षण प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता मांगी गई है, क्या यह राशि प्रशिक्षण संस्थान या संबंधित व्यक्ति को जारी की जा सकती है।<br>• क्या इस मामले में कोई आय सीमा लागू होगी या नहीं।<br>यदि श्री विनोद कुमार को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर सहमति हो जाती है तो इस मामले को एक विशेष मामले के रूप में माना जाना चाहिए और इसे वरीयता के रूप में उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए। |

3. अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए बैठक संपन्न हुई।

*****

**अनुबंध –I**

**<u>प्रतिभागियों की सूची</u>**

**क. शासी निकाय के सदस्य**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सुश्री अंजली भावड़ा, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी | अध्यक्ष |
| 2. | डॉ. प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी | संयोजक और सीईओ |
| 3. | श्री संजय पांडे, संयुक्त सचिव एवं एफए, डीईपीडब्ल्यूडी | सदस्य |
| 4. | डॉ रिंकू शर्मा, डीजीएचएस, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय | सदस्य |
| 5. | श्री गुरदीप सिंह, डीएस, वित्तीय सेवा विभाग | सदस्य |
| 6. | श्री धरमिंदर सिंह, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय | सदस्य |
| 7. | श्री अमित सागर शर्मा (बौद्धिक दिव्यांगता के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 8. | श्री वेन्नापूसा श्रीनिवासुलु रेड्डी (पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| **ख** | **विभागीय अधिकारी** | |
| 9. | डॉ. राजन सहगल, सीएमडी, एनएचएफडीसी | |
| 10. | श्री के.वी.एस. राव, निदेशक, डीईपीडब्ल्यूडी | |
| 11. | श्री सुबोध कुमार, सदस्य सचिव, आरसीआई | |
| 12. | श्री डी.के. पांडा, अवर सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी | |
| 13. | श्री अरविंद दुबे, सीए, लखनऊ | |

**दिनांक 14.10.2021 को सुबह 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय निधि योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आवेदनों की जांच के लिए स्क्रीनिंग समिति की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त ।**

प्रतिभागी निम्नानुसार हैं: -

i. श्री प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग .................. (अध्यक्ष)
ii. श्री डी. आर. सरीन, सीएमडी, एलिम्को
iii. श्री विमल आनंद, निदेशक, खेल विभाग
iv. श्री देवाशीष भारद्वाज, उप सचिव, युवा कार्य विभाग
v. सुश्री सरिता नायर, उप सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
vi. सुश्री सरोज सिंह, अवर सचिव, वित्तीय सेवा विभाग
vii. श्री अनिल कुमार, सहायक प्रबंधक, एनएचएफडीसी
viii. श्री के.वी.एस. राव, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

2. डॉ प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने बैठक में सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि के तहत इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए योजना/दिशा-निर्देशों की विशेषताओं के बारे में संक्षेप में बताया। उन्होंने श्री के.वी.एस.राव, निदेशक से योजना और वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त प्रस्तावों के बारे में जानकारी देने के लिए कहा।

3. के.वी.एस. राव, निदेशक ने समिति को सूचित किया कि विभाग को दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि की योजना के तहत वित्तीय सहायता की मांग करते हुए लगभग 55 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तथापि, अधिकांश प्रस्ताव अपूर्ण हैं और संबंधित आवेदकों/संगठनों से कतिपय सूचना मांगी गई है। 55 प्रस्तावों में से 31 प्रस्ताव दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी/कार्यशाला आयोजित करने से संबंधित हैं, 14 प्रस्ताव खेल आयोजनों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से संबंधित हैं और 18 प्रस्ताव उच्च सहायता की आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित उपकरणों हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने से संबंधित हैं। प्रदर्शनी/कार्यशाला के आयोजन के लिए उप-श्रेणी के अंतर्गत प्राप्त केवल 11 प्रस्तावों को समिति के समक्ष रखा गया है, क्योंकि उन्होंने प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विभिन्न अपेक्षाओं को अधिकांशत पूरा कर लिया है।

4. समिति ने योजना/दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तावों पर विचार किया और निम्नानुसार सिफारिश की: -

| क्र.सं. | संगठन से प्राप्त प्रस्ताव | समिति की सिफारिशें |
|---|---|---|
| **1** | एनआईईपीएमडी, चेन्नई<br>राज्य स्तरीय चित्रकला एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी<br>(1 दिन) | समिति ने सैद्धांतिक रूप से प्रस्ताव की सिफारिश की, जो निम्नलिखित के अधीन है:- |

| | | |
|---|---|---|
| | (रू. 8,44,500/-) | |
| | | • कार्यक्रम की तारीख की पुन: पुष्टिकरण के बाद निधि जारी किया जा सकता है, न कि कार्यक्रम के एक महीने से पहले। |
| 2. | एनआईएमएचएएनएस, बैंगलोर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला सह प्रदर्शनी – चित्रकला<br>(4-5 दिन /30 दिन)<br>(रू. 12,11,530/-) | समिति ने सैद्धांतिक रूप से प्रस्ताव की सिफारिश की, जो निम्नलिखित के अधीन है: -<br>• कार्यक्रम की तारीख की पुन: पुष्टि के बाद निधि जारी किया जा सकता है, न कि कार्यक्रम के एक महीने से पहले। |
| 3. | आंध्र प्रदेश उत्पादकता परिषद, हैदराबाद<br>राज्य स्तरीय हस्तशिल्प एवं चित्रकला प्रदर्शनी<br>(2 दिन)<br>(रू. 10 लाख) | समिति ने सैद्धांतिक रूप से इस प्रस्ताव की सिफारिश की थी जिसमें निधियों को 8 लाख रुपये तक सीमित कर दिया गया। जो निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन होगा : -<br>• संपर्क विवरण के साथ पीडब्ल्यूडी प्रतिभागियों की विस्तृत सूची<br>• नई तारीखों के लिए एनओसी/स्थानीय प्राधिकरण अनुमोदन प्रस्तुत करना।<br>कार्यक्रम की तारीख की पुन: पुष्टिकरण के बाद निधि जारी किया जा सकता है, न कि कार्यक्रम के एक महीने से पहले। |
| **4** | एस.वी.एन. संस्थान, झोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान<br>राज्य स्तरीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी<br>(3 दिन)<br>(रू. 14,65,000/-) | आगे की प्रक्रिया के लिए, समिति ने इच्छा व्यक्त की कि संगठन से निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्राप्त किए जा सकते हैं:<br>• संगठन से औचित्य के साथ संशोधित व्यय की मांग करना क्योंकि संगठन द्वारा दिया गया बजट व्यय अधिक है।<br>• प्रदर्शनी के दिनों को 3 दिनों के बजाय 2 दिनों तक कम किया जाए<br>• यह वचन देना कि वह इसी उद्देश्य के लिए किसी अन्य स्रोत से अनुदान नहीं मांग रहा हैI<br>नई तिथियों के लिए प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण से निकासी (क्लीयरेंस) कार्यक्रम की तारीख की पुन: पुष्टिकरण के बाद निधि जारी किया जा सकता है, न कि कार्यक्रम के एक महीने से पहले। |
| **5** | धर्मा अप्पाराव (डीएआर) कॉलेज, नुज्विद जिला, आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय स्तर की चित्रकला प्रदर्शनी<br>(2 दिन) | आगे की प्रक्रिया के लिए, समिति ने इच्छा व्यक्त की कि संगठन से निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्राप्त किए जाएं: -<br>• संगठन से संपर्क विवरण सहित |

| | | |
|---|---|---|
| | (रु 18,95,000/-) | दिव्यांगजनों प्रतिभागियों की विस्तृत सूची प्राप्त करने के लिए मांग करना।<br>• राज्य आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम/पीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र<br>• पिछले दो वर्षों की वार्षिक/लेखा परीक्षा रिपोर्ट<br><br>कार्यक्रम की तारीख की पुन: पुष्टि के बाद निधि जारी किया जा सकता है, न कि कार्यक्रम के एक महीने से पहले। |
| **6** | आईसीएफएआई विश्वविद्यालय, त्रिपुरा (गैर-लाभकारी निजी विश्वविद्यालय)<br>राज्य स्तरीय हस्तशिल्प/चित्रकला प्रदर्शनी<br><br>(1 दिन)<br>(रु. 10,04,200/-) | समिति ने सैद्धांतिक रूप से निधि को 10 लाख रुपये तक सीमित करने के प्रस्ताव की सिफारिश की, जो निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन होगा : -<br><br>• प्रदर्शनी आयोजित करने की नई तिथि<br>• नई तिथियों पर प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण से निकासी (क्लीयरेंस)<br>• संपर्क विवरण के साथ पीडब्ल्यूडी प्रतिभागियों की विस्तृत सूची। पिछले दो वर्षों की वार्षिक/लेखा परीक्षा रिपोर्ट<br>• कार्यक्रम की तारीख की पुन: पुष्टिकरण के बाद निधि जारी किया जा सकता है, न कि कार्यक्रम के एक महीने से पहले। |
| **7** | नोबल एजुकेशन, हैदराबाद, तेलंगाना<br>राज्य स्तरीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी<br>(1 दिन)<br>(रू. 8,50,000/-) | आगे की प्रक्रिया के लिए, समिति ने इच्छा व्यक्त की कि संगठन से निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्राप्त किए जाएं: -: -<br><br>• संगठन से औचित्य के साथ संशोधित व्यय की मांग करना क्योंकि संगठन द्वारा दिया गया बजट व्यय अधिक है।<br>• प्रदर्शनी आयोजित करने की नई तिथि<br>• नई तिथियों के लिए प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण से निकासी (क्लीयरेंस)<br>• पिछले दो वर्षों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट<br>• संपर्क विवरण के साथ पीडब्ल्यूडी प्रतिभागियों की विस्तृत सूची |
| **8** | प्रस्थ श्री भगवान बाबा बहुउद्देशीय सेवाबावी संस्था, जालना, महाराष्ट्र<br>राज्य स्तरीय चित्रकला प्रदर्शनी सह कार्यशाला<br><br>(2 दिन)<br>(रु. 7,75,000/-) | समिति ने सैद्धांतिक रूप से निधि को 6 लाख रुपये तक सीमित करने के प्रस्ताव की सिफारिश की, जो निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन होगा : -<br>• प्रदर्शनी आयोजित करने की तिथि<br>• संपर्क विवरण के साथ पीडब्ल्यूडी प्रतिभागियों की विस्तृत सूची |

| | | |
|---|---|---|
| | | • राज्य आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम/पीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र<br>• नई तिथियों पर प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण से निकासी (क्लीयरेंस)<br><br>कार्यक्रम की तारीख की पुन: पुष्टिकरण के बाद निधि जारी किया जा सकता है, न कि कार्यक्रम के एक महीने से पहले। |
| **9.** | जिला निशक्तकल्याण एवं विकास समिति मुरैना, म.प्र. राज्य स्तरीय हस्तशिल्प एवं चित्रकला प्रदर्शनी<br>(3 दिन)<br>(रू. 14,77,500/-) | समिति ने सैद्धांतिक रूप से निधि को 10 लाख रुपये तक सीमित करने के प्रस्ताव की सिफारिश की, जो निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन होगा : -<br><br>• नई तिथियों के लिए प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण से निकासी (क्लीयरेंस)<br>• पिछले दो वर्षों की वार्षिक/लेखा परीक्षा रिपोर्ट<br>• संपर्क विवरण के साथ पीडब्ल्यूडी प्रतिभागियों की विस्तृत सूची<br><br>कार्यक्रम की तारीख की पुन: पुष्टिकरण के बाद निधि जारी किया जा सकता है, न कि कार्यक्रम के एक महीने से पहले। |
| **10** | मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए आदर्श पुनर्वास केंद्र (एआरसीएनपीएचसी), भिवानी, हरियाणा<br>राज्य स्तरीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी<br>(2 दिन)<br>(रू. 10,09,000/-) | समिति ने सैद्धांतिक रूप से निधि को 8 लाख रुपये तक सीमित करने के प्रस्ताव की सिफारिश की, जो निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन होगा : -<br><br>• नई तिथियों के लिए प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण से निकासी (क्लीयरेंस)<br>• पिछले दो वर्षों की वार्षिक/लेखा परीक्षा रिपोर्ट<br>• संपर्क विवरण के साथ पीडब्ल्यूडी प्रतिभागियों की विस्तृत सूची<br><br>कार्यक्रम की तारीख की पुन: पुष्टिकरण के बाद निधि जारी किया जा सकता है, न कि कार्यक्रम के एक महीने से पहले। |
| **11** | नेशनल हैंडिकेप्ड फाईनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएचएफडीसी)<br>राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी हस्तशिल्प – सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला -2022 | समिति ने सैद्धांतिक रूप से निधि को 20 लाख रुपये तक सीमित करने के प्रस्ताव की सिफारिश की और पीडब्ल्यूडी प्रतिभागियों की संख्या 25 कर दी, जो निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने के अधीन होगा: - |

| | | |
|---|---|---|
| | (17 दिन)<br>(रू. 20,87,202/-) | • समान प्रयोजन के लिए किसी अन्य स्रोत से अनुदान न मांगने का वचन<br>• संपर्क विवरण के साथ पीडब्ल्यूडी प्रतिभागियों की विस्तृत सूची<br>कार्यक्रम की तारीख की पुन: पुष्टिकरण के बाद निधि जारी किया जा सकता है, न कि कार्यक्रम के एक महीने से पहले। |

4. समिति ने सुझाव दिया कि राज्य/आस-पास के राज्य में स्थित विभाग के राष्ट्रीय संस्थान/सीआरसी को गैर-सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कार्मिकों को तैनात करने और विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। संबंधित राष्ट्रीय संस्थान/सीआरसी से प्राप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आधार पर संगठन को दूसरी किस्त वास्तविक रूप से जारी की जाएगी।

अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए बैठक संपन्न की गई ।

****